

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/के-25/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

सुश्री कृष्णा सोनी, फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ, राजसमन्द को दिनांक 10.07.2019 से 23.07.2019 (14 दिवस) तक विदेश भ्रमण ( थाईलैंड ) हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिका को विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात् अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थिति होगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी/अवैधानिक गतिविधियों से संबंधित नहीं रहेगी।

sd.

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/के-25/2019/264

दिनांक: 10.07.2019.

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द को उनके पत्र क्रमांक 1555 दिनांक 14.06.2019 के क्रम में।
2. सुश्री कृष्णा सोनी, फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ, राजसमन्द को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड कर।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर